प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 31 जुलाई, 2015

विषय-जनपद न्यायालय गाजीपुर में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के निर्माण हेतु पुनरीक्षित स्वीकृति/वित्तीय अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-18288/नम-2, दिनांक 26.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गाजीपुर/जनपद न्यायालय में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-1575(1)/22-4-2012-119(ब)/2000टीसी-8, दिनांक 23.01.2013 द्वारा रू0 41.24 की लागत पर प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत लागत में से रू0 18.81 लाख की धनराशि जनपद न्यायलय में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष के निर्माण हेतु स्वीकृत की गयी थी। उक्त धनराशि से जनपद न्यायालय में उपलब्ध कक्ष की मरम्मत कराकर वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष की स्थापना किये जाने का प्राविधान किया गया था। जनपद न्यायालय द्वारा मरम्मत हेतु कोई कक्ष उपलब्ध नही कराया गया फलस्वरूप नये वीडियो कान्फ्रसिंग कक्ष के निर्माण हेतु रू0 45.28 लाख का पुनरीक्षित आगणन शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। उक्त आगणन की परीक्षणोपरान्त लागत रू0 43.67 लाख आंकलित की गयी है।

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जनपद न्यायालय गाजीपुर में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष की स्थापना हेतु रू0 43,67,000/-(रूपया तिरालिस लाख सरसठ हजार मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति/वित्तीय अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों की अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) पुनरीक्षित आगणन में लागत का आंकलन प्रस्तावित कार्यों एवं मात्राओं के अनुसार किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(4) निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार एवं योगफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियां इस्तेमाल करना आदि सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

3- पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष परियोजनाओं की अवशेष धनराशि स्वीकृत की जा सके।

4- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत से सम्बन्धित पुनरीक्षित आगणन के उद्वरण की छायाप्रति संलग्न है।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 160/2015/ 675(1)/22-4-15-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, गाजीपुर।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।